स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं० CGC/7/2017/STGUP/SEOTH/RU-I   दिनांकः20.03.2018

सिटिंग नोटिस

विषयः .श्री गुलाबचंद्र गौंड़, राज्य सचिव, अखिल भारतवर्षीय गौंड, महासभा मार्फत विधायक निवास–3 ओल्ड 38, ओसीआर हुसैनगंज लखनऊ उतरप्रदेश से प्राप्त उनका दिनांक 07.10.2017 का अभ्यावेदन–. उतरप्रदेश के चंदौली जिले में गौंड़ जाति प्रमाण पत्रों के रद्दीकरण के संबंध में

संदर्भः आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.10.2017 ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (प्रेस रिपोर्ट/याचिका/अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसूईया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित, आयोग के सम्मेलन कक्ष, 6 फ्लोर बी, विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **05.04.2018 को 03:00** बजे अपराह्न सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यावेदक को भी सलाह दी जाती है कि वह भी सीटिंग में उपस्थित रहे।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को वाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

जिला-चंदौली (उ.प्र.) से संबंधित प्रकरण, जो आयोग में लंबित है कि सूची रिपोर्ट हेतु संलग्न है।

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाषः 24641640

सेवा में,
जिला कलेक्टर,
जिला–चंदौली, उतरप्रदेश